ई–गवर्नैन्स सोसाईटी, (आर0एल0ए0) बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.09.2005 से 31.03.2014

1 प्रारम्भिकः–

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या–TPT-F(1)-3/2000-e-Governance, दिनांक 3.9.2005 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार की परिवहन विभाग से सम्बन्धित ई–गवर्नेन्स सोसाईटी का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का सौंपे जाने के दृष्टिगत, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बैजनाथ, के अवधि 01.09.2005 से 31.03.2014 के लेखाओं का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण, जिसके परिणाम अग्रलिखित अनुच्छेदों में दिये गये हैं, इस विभाग के श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनाँक 02.12.2014 से 10.12.2014, 15.12.2014 से 23.12.2014, 26.12.2014 से 27.12.2014 एवं 01.01.2015 से 05.01.2015 के दौरान बैजनाथ में किया गया। वर्तमान अंकेक्षण के दौरान विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गयाः–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	आय के लिए चयनित मास	व्यय के लिए चयनित मास
1	2005–06	10/2005	12/2005
2	2006–07	07/2006	01/2007
3	2007–08	06/2007	06/2007
4	2008–09	10/2008	07/2008
5	2009–10	06/2009	11/2009
6	2010–11	04/2010	03/2011
7	2011–12	07/2011	06/2011
8	2012–13	05/2012	02/2013
9	2013–14	03/2014	10/2013

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों ने सोसाईटो के प्रशासक एवं आहरण तथा संवितरण अधिकारी के रूप में कार्य कियाः–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री संदीप कुमार	01.09.2005 से 15.06.2007
2	श्री बी0एस0 ठाकुर	15.06.2007 से 31.10.2007
3	श्री डी0के0 रत्न	02.11.2007 से 30.01.2009
4	श्री कमल कान्त सरोच	13.03.2009 से 01.11.2010
5	श्री इन्द्र सिंह भारद्वाज	02.11.2010 से 10.05.2012
6	श्री ज्ञान सागर नेगी	10.05.2012 से 09.01.2013
7	श्री ओ0पी0 ठाकुर	31.01.2013 से 31.10.2013
8	श्री संदीप सूद	27.11.2013 से 30.01.2014
9	श्री ऋगवेद ठाकुर	24.02.2014 से लगातार

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	**पैरा सं0**	**विवरण**	**राशि लाखों में**
1	4	बचत खाते से सम्बन्धित ब्याज की राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करना	0.23
2	7	वाहन की मुरम्मत/पैट्रोल हेतु अनियमित भुगतान करना	0.58
3	8	ई–गवर्नेन्स निधि से विभिन्न उद्देश्यों हेतु अग्रिम के रूप में अनियमित भुगतान करना	0.28
4	12	कार्यालय के बिजली एवं टेलीफोन बिलों की राशि का भुगतान अनियमित रूप से ई–गवर्नन्स से करना	0.82

(घ) यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) बैजनाथ, द्वारा प्रदत्त सूचनाओं एवं अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। उक्त संस्था द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी प्रकार की गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने की परिस्थिति में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

2 अंकेक्षण शुल्कः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) बैजनाथ के अवधि 09/2005 से 03/2014 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर कुल ₹21000/– आँका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने इसे निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 004/2015 दिनाँक 05.01.2015 द्वारा उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) प्रशासक ई–गवर्नेन्स सोसाईटी से अनुरोध किया गया, तथा उन के द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि ड्राफ्ट संख्या 558490 दिनाँक 27.01.2015, कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित, शाखा बैजनाथ द्वारा भेज दी गई।

3 वित्तीय स्थितिः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) बैजनाथ द्वारा परिवहन से सम्बन्धित गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य गतिवधियाँ/सेवायें भी प्रदान की जा रही है जैसे कि भूमि दस्तावेज का पंजीकरण, भूमि का पर्चा जारी करना एवं अन्य विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करना इत्यादि तथा इन सभी सेवाओ को प्रदान करने हेतु प्राप्त किये जा रहे सेवा शुल्क की

प्रविष्टियाँ एक ही रोकड़ बही में दर्ज की जा रही है एवं सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त समस्त राशि को कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक, शाखा बैजनाथ के बचत खाता संख्या 20016010150 में जमा करवाया जा रहा है। परिणामस्वरूप ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) बैजनाथ द्वारा परिवहन सम्बन्धी गतिविधियों की अलग से वित्तीय स्थिति नहीं बनाई गई अपितु समस्त गतिविधियों की समांकित वित्तीय स्थिति तैयार की गई है, जोकि इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** में संलग्न है। अतः परामर्श दिया जाता है कि अंकेक्षण अवधि एवं उसके उपरान्त की अवधि की परिवहन से सम्बन्धित गतिविधियों से प्राप्त सेवा शुल्क तथा उसमें से किये गये व्यय का अलग से विवरण दिया जाए तथा तदानुसार इन गतिविधियों से सम्बन्धित अलग से वित्तीय स्थिति तैयार की जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य के सन्दर्भ में भी यह सुझाव दिया जाता है कि परिवहन से सम्बन्धित गतिविधियों से प्राप्त सेवा शुल्क/आय तथा व्यय का रोकड़ बही में अलग से ब्यौरा अलग रखा जाए ताकि परिवहन गतिविधियों की आय एवं व्यय की सही स्थिति परिलक्षित हो सके। उपरोक्त के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000 ई0 गवर्नेन्स दिनाँक 03.09.2005 के अनुसार संस्था का तुलन पत्र (Balance Sheet) सम्पूर्ण अंकेक्षण अवधि का तैयार किया जाए एवं कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

4 बचत खाते से सम्बन्धित ब्याज की ₹23019/– को रोकड़ बही में दर्ज न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के मिलान के दौरान पाया गया कि सोसाईटी द्वारा दिनाँक 31.03.2014 तक बचत खाते पर ब्याज के रूप में प्राप्त कुल ₹23019/– को रोकड़बही में नहीं लिया गया है, जिसका सम्पूर्ण विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	बचत खाते में ब्याज के रूप में जमा राशि की तिथि	प्राप्त/जमा राशि
1	31.08.11	5673
2	29.02.2012	3099
3	31.05.2012	2464
4	30.11.2012	4554
5	31.05.2013	3051
6	31.08.2013	1501
7	28.02.2014	2677

योग **₹23019**

इस प्रकार ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा बचत खाते में जमा ब्याज की राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करने से सोसाईटी की वास्तविक वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं होती है तथा उक्त कार्रवाई लेखांकन के सिद्धान्तों के विरूद्ध भी है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुये अविलम्ब इन समस्त राशियों को रोकड़ बही में दर्ज किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही एवं बैंक पास बुकों के मिलान के दौरान यह भी पाया गया कि बैंक द्वारा बचत खाते पर सामान्यतः वर्ष में दो बार माह फरवरी एवं अगस्त में ब्याज लगाया जाता है किन्तु रोकड़ बही में दिनाँक 14.03.2013 को माह फरवरी, 2009 के ब्याज के रूप में प्राप्त ₹1910/– दर्शाई गई है, जोकि वास्तव में प्राप्त आय की राशि प्रतीत होती है क्योंकि बैंक द्वारा माह फरवरी, 2009 में ब्याज के जमा की प्रविष्टि नहीं की गई है, जिस बारे में भी बैंक से मामला उठाया जाए तथा वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त भविष्य के सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि बचत खाते पर प्राप्त ब्याज की राशि को यथासमय रोकड़ बही में लिया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि इस प्रकार की घटनाओं को पुनरावृति को रोका जा सके।

5 रोकड़ बही का रख–रखाव नियमानुसार न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000–ई–गवर्नेन्स दिनाँक 03.09.2005 एवं जिलाधीश कांगड़ा एवं सोसाईटी के मुख्य प्रशासक द्वारा जारी उपबन्धों (Bye Laws) तथा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उपमण्डल स्तर पर रोकड़ बही के रख रखाव बारे निर्देश दिये गये है, किन्तु रोकड़ बही एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ई–गवर्नेन्स बैजनाथ द्वारा रोकड़ बही एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा न तो प्रत्येक माह के अन्त में आय एवं व्यय की विवरणी तैयार की गई है एवं न ही रोकड़ बही का मिलान मासिक एवं वार्षिक आधार पर बैंक पासबुक से किया गया है। इसके अतिरिक्त सोसाईटी द्वारा प्रतिवर्ष तुलन पत्र (Balance Sheet) भी तैयार नहीं किया गया है। जाँच में यह भी पाया गया कि रोकड़ बही के शेषों को आगे ले जाते समय उन्हें गलत ढ़ंग उठाया गया है एवं कइ स्थानों पर रोकड़बही में योग में गल्तियाँ की गई है तथा आय एवं व्यय की कुछ मदों को रोकड़ बही में दो बार दर्शा दिया गया है। इसके अतिरिक्त आय तथा व्यय की कुछ मदो को रोकड़ बही में या तो लिखा नहीं गया है अथवा कम या अधिक राशि की प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में की गई है। इस प्रकार की गल्तियों का सम्पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ख एवं ग"** (रोकड़ बही

एवं अंकेक्षण द्वारा तैयार वित्तीय स्थिति तथा बैंक समाधान विवरणी) में विस्तारपूर्वक दिया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया गया कि रोकड़ बही में कोई गलती हो जाने पर सोसाईटी द्वारा उसे काट कर एवं पुनः ठीक मद को लिखने के स्थान पर गलत ईन्द्राज के उपर ही अधिलेखन (Overriting) कर दिया गया है जो एक अनुचित प्रक्रिया है। अतः **परिशिष्ट "ख" तथा परिशिष्ट "ग"** दर्शाइ गए आंकड़ों को भिन्नता को रोकड़ बही/अभिलेख में ठीक किया जाए तथा कम जमा करवाई गई राशि को भी बैंक में जमा करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य के सन्दर्भ म परामर्श दिया जाता है कि जब कभी भी रोकड़ में किसी प्रविष्टि को ठीक करनी हो तो पुरानी प्रविष्टि को काट कर एवं नई प्रविष्टि पुनः लिखी जाए तथा सक्षम प्राधिकारी से इसे प्रतिहस्ताक्षरित करवाया जाए। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में प्रत्येक माह में प्राप्त कुल आय एवं व्यय के विवरण के उपरान्त अन्तशेष का विवरण देकर हस्तगत राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र एव बैंक में जमा राशि का विवरण भी दिया जाए तथा रोकड़ बही के शेष का बैंक में जमा शेष राशि का मिलान भी मासिक तथा वार्षिक आधार पर करना सुनिश्चित किया जाए एवं कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

6 सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त आय की ₹2800/– को बैंक में जमा न करवाने बारेः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि (आर0एल0ए0) बैजनाथ द्वारा अंकेक्षण अवधि में सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त ₹2800/– जिसका सम्पूर्ण विवरण निम्नलिखित है, को बैंक में जमा नहीं करवाया गया हैः–

क्र0सं0	विवरण	राशि	टिप्पणी
1	दिनाँक 19.11.2008 को प्राप्त आय जिसे रोकड़ बही में दिनाँक 03.05.09 को पृष्ठ संख्या 83 में लिया गया है	830	बैंक समाधान विवरणी क्रम संख्या IV
2	दिनाँक 10.01.2008 से 16.01.2008 तक प्राप्त कुल आय 10500 क विरूद्ध दिनाँक 15.01.08 एवं 19.01.08 को कुल राशि ₹9760/– हो जमा करवाई गई	740	बैंक समाधान विवरणी क्रम संख्या VII
3	दिनाँक 01.06.10 को प्राप्त कुल आय ₹1390/– के विरूद्ध राशि ₹1340 ही बैंक में जमा करवाई गई	50	बैंक समाधान विवरणी क्रम संख्या IX
4	दिनाँक 03.03.2012 को प्राप्त आय ₹1180/– के जमा की प्रविष्टि बैंक पास बुक में नहीं मिली	1180	बैंक समाधान विवरणी क्रम संख्या XII
	योग	₹2800	

अंकेक्षण द्वारा इस जमा न करवाई गई राशि बारे मामला ई0—गवर्नेन्स के प्रशासक तथा सम्बन्धित कर्मचारी से मामला उठाया गया था, जिस पर उनके द्वारा उक्त राशि को शीघ्र बेंक में जमा करवा दिया जाने बारे आश्वासन दिया गया। अतः प्राप्त आय को बैंक में जमा न करवाये जाने बारे अथवा कम जमा करवाये जाने बारे स्पष्टीकरण देते हुये इस समस्त राशि को दण्ड ब्याज सहित बैंक में जमा करवाया जाए तथा कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसक अतिरिक्त भविष्य के सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त आय को उसी कार्य दिवस अथवा आगामी कार्य दिवस पर बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति को रोका जा सके।

7 वाहन की मुरम्मत/पैट्रोल हेतु ₹58188/— का अनियमित भुगतान करनाः—

हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0—एफ (1)—3/2000 ई—गवर्नेन्स दिनाँक 03.09.2005 के नियम 3 (b) व्यय शीर्ष की क्रम संख्या 2 के अनुसार ई—गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा सोसाईटी निधि से वाहन की मुरम्मत अथवा पैट्रोल या किसी अन्य वाहन सम्बन्धी कार्य हेतु व्यय नहीं किया जा सकता है, किन्तु अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ई—गवर्नेन्स सोसाईटी बैजनाथ द्वारा वित्तीय वर्ष 2005—06 से 2013—14 के दौरान निम्नविवरणानुसार कुल ₹58188/— का व्यय वाहन की मुरम्मत अथवा वाहन में पैट्रोल डलवाने हेतु अग्रिम राशियाँ प्रदान करके किया गया है जबकि इन अग्रिम राशियों के समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख वर्तमान अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं करवाए गए। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि अग्रिम राशियाँ ऋण के रूप में ई—गवर्नेन्स द्वारा दी गई है किन्तु इन अग्रिम राशियों को वापस भुगतान सम्बन्धी अभिलेख भी वर्तमान अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए, जिसके अभाव में ऋण के रूप में प्रदान की गई इन राशियों का ई—गवर्नेन्स निधि में वापस प्राप्ति क सम्बन्ध में कोई जाँच नहीं की जा सकी। उक्त भुगतान की गई राशियों का सम्पूर्ण विवरण निम्नलिखित हैः—

क्र0सं0	दिनाँक	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि	चैक नं0 एवं दिनाँक	भुगतान जिसे किया गया	विवरण
1	01.10.09	37/4	5000	035799/01.10.09	नाम नहीं लिखा गया	पैट्रोल हेतु अग्रिम राशि
2	07.12.09	53/4	3000	214744/07.12.09	—यथोपरि—	—यथोपरि—

3	22.07.10	71 / 4	5000	212754 / 22.02.10	–यथोपरि–	–यथोपरि–
4	03.09.10	127 / 4	2000	529775 / 30.09.10	श्री विनय कुमार (चालक)	वाहन मुरम्मत हेतु
5	22.09.10	130 / 4	3000	530382 / 22.09.10	–यथोपरि–	पैट्रोल हेतु
6	30.10.10	140 / 4	2500	530981 / 30.10.10	–यथोपरि–	–यथोपरि–
7	09.12.10	151 / 4	10000	530992 / 08.12.10	नाम नहीं लिखा गया	वहन मुरम्मत हेतु
8	23.10.10	154 / 4	3188	530996 / 23.10.10	श्री विनय कुमार (चालक)	–यथोपरि–
9	16.03.11	174 / 4	2500	544186 / 16.3.11	–यथोपरि–	पैट्रोल हेतु
10	06.08.12	129 / 5	3000	194324 / 6.8.12	–यथोपरि–	–यथोपरि–
11	06.09.12	140 / 5	3000	194348 / 6.9.12	–यथोपरि–	–यथोपरि–
12	24.12.12	167 / 5	4000	144294 / 24.12.12	–यथोपरि–	–यथोपरि–
13	09.01.13	173 / 5	5000	719652 / 9.1.13	–यथोपरि–	–यथोपरि–
14	16.01.14	40 / 7	7000	844707 / 16.01.14	–यथोपरि–	–यथोपरि–
		योग	**₹58188**			

अतः ई–गवर्नेन्स सोसाईटी से अनियमित रूप से अग्रिम राशियों के रूप में भुगतान की गई कुल ₹58188/– को शीघ्र सोसाईटी के खाते में जमा करवाये जाने के अतिरिक्त इन अग्रिम राशियों/भुगतानों बारे स्थिति स्पष्ट की जाए कि नियमों के विरूद्ध इन राशियों को सोसाईटी के खाते में से निकासी क्यों की गई। इसके अतिरिक्त भविष्य के सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि ई–गवर्नेन्स (आर0एल0ए0) से उन्हीं मदों पर व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिन मदों पर सरकार द्वारा सहमति/स्वीकृति प्रदान की गई है एवं जो मदें ई–गर्वनेन्स (आर0एल0ए0) में व्यय करने हेतु अनुमोदित व्यय शीर्ष के अन्तर्गत आती है।

8 ई–गवर्नेन्स निधि से विभिन्न उद्देश्यों हेतु अग्रिम के रूप में ₹28742/– का अनियमित भुगतान करनाः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में ई–गवर्नेन्स की रोकड़ बही में से ₹28742/– अग्रिम रूप में विभिन्न उद्देश्यों हेतु निम्नविवरणानुसार निकाली गई थीः–

क्र0सं0	विवरण	दिनाँक	रोकड़	चैक क्रमाँक	राशि

			बही पृ0सं0		
1	राहत भुगतान हेतु अग्रिम राशि दर्शाई गई	26.05.08	48/3	548469	10000
2	श्री रत्तो राम को राहत राशि के रूप में वित्तीय सहायता	18.7.08	56/3	610126	1500
3	तहसीलदार बैजनाथ को अग्रिम भुगतान दर्शाया गया। (उद्देश्य नहीं लिया गया)	22.9.10	130/4	530383	8000
4	शासकीय डाक टिकटों हेतु अग्रिम	02.04.11	181/4	544195	1000
5	श्रीमती सुलक्षण आचार्य को अग्रिम राशि का भुगतान (उद्देश्य नहीं लिया गया)	30.09.11	43/5	904039	8242
				योग	**₹28742**

जाँच में पाया गया कि ई0–गवर्नेन्स निधि से इन राशियों का भुगतान ऋण के रूप में किया गया दर्शाया गया था किन्तु इन्हें दिनाँक 31.3.2014 तक लौटाया नहीं गया था। इसके अतिरिक्त इन राशियों की निकासी ई0–गवर्नेन्स निधि पर उचित प्रभार नहीं था एवं न ही इन राशियों की निकासी से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गई थी। अतः बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के राशियों की विभिन्न प्रयोजनों हेतु निकासी, जो ई0 गवर्नेन्स से सम्बन्धित व्ययों हेतु नहीं थी, के बारे स्पष्टीकरण देते हुये इन समस्त राशियों को पुनः ई0–गवर्नेन्स खाते में जमा करवाया जाए तथा अनियमित निकासी हेतु जिम्मेवार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जानी अपेक्षित है तथा की गई कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

9 आय को ₹3960/– को रोकड़ बही में दर्ज न करने बारेः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि (आर0एल0ए0) बैजनाथ, द्वारा अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित आय को 31.03.2014 तक रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था, यद्यपि इन प्राप्त आय को बैंक में जमा करवा दिया गया है। जबकि नियमानुसार प्रत्येक आय को सर्वप्रथम रोकड़बही में दर्ज किया जाना अपेक्षित है।

क्र0सं0	दिनाँक	राशि	टिप्पणी
1	31.8.09	2325	आय रोकड़ बही में दर्ज नहीं है
2	07.05.12	1635	दिनाँक 07.05.12 को प्राप्त कुल सेवा शुल्क ₹3165 के विरूद्ध ₹1530 ही रोकड़ बही में दर्ज किये गये है
	योग	**3960**	

अतः प्राप्त आय को रोकड़ बही में दर्ज न करने बारे कारण स्पष्ट करते हुये इस आय को अविलम्ब रोकड़ बही मे ंदर्ज किया जाए तथा की गई कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य के सन्दर्भ में यह सुझाव दिया जाता है कि सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त समस्त आय को रोकड़ बही में यथासमय दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 राजकीय कोष एवं मुख्य प्रशासक के पास 25% भाग के रूप में जमा राशियो ंके बारे में:–

हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000–ई–गवर्नेन्स दिनाँक 03.09.2005 के अनुसार सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त कुल आय का 25**%** भाग राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार मुख्य प्रशासक एवं जिलाधीश काँगड़ा द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त कुल आय का 25**%** भाग सचिव ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी धर्मशाला के पास व्यय को देखते हुए उपलब्धता के आधार पर जमा करवाया जाना अपेक्षित है। ई–गवर्नेन्स सोसाईटी बैजनाथ द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख के अनुसार राजकीय कोष एवं मुख्य प्रशासक के पास जमा राशियों का विवरण इस अंकेक्षण पतिवेदन के **परिशिष्ट "घ" एवं "ङ"** में दिया गया है। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त आय को समय पर राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया जा रहा है तथा कुछ मामलों में इस राशि को एक वर्ष या इससे भी अधिक अवधि उपरान्त राजकीय कोष में जमा करवाया गया है जबकि प्राप्त शुल्क के 25**%** भाग को वसूली वाले दिन अथवा आगामी कार्य दिवस पर राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। अतः इस चूक बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये भविष्य में प्राप्त आय के 25**%** भाग को उसी अथवा आगामी कार्य दिवस पर राजकीय काष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त अभिलेख सहित यह भी स्पष्ट किया जाए कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा राजकीय कोष में अपेक्षित आय का 25**%** भाग जमा करवा दिया गया दिया है।

11 ई–गवर्नेन्स निधि से किए गए क्रय में पाई गई विभिन्न अनियमितताएं:–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) बैजनाथ द्वारा क्रय किये गये विभिन्न सामान से सम्बन्धित निम्नविवरणानुसार भुगतान बिलों की जाँच में पाया गया कि क्रय किये गये सामान हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार एवं सोसाईटी द्वारा बनाये गये नियमों एवं क्रय प्रक्रिया की पूर्णतया अनदेखी की गई है तथा स्टॉक प्रविष्टियाँ इत्यादि न करने के अतिरिक्त अधिकतर मामलों में सक्षम प्राधिकारी की व्यय हेतु स्वीकृति प्राप्त नही की गई है।

क्र0 सं0	फर्म का नाम	बिल संख्या	दिनाँक	भुगतान माह	राशि	क्रय सामान का विवरण	टिप्पणी
1	मै0 शिवा एन्टरप्राईजिज बैजनाथ	135	04.09.05	02/2005	5790	बोर्ड, माईका, प्लाई, मोल्डिग एवं अन्य सम्बन्धित सामान	₹5790 के विरूद्ध ₹5700 का भुगतान किया गया
2	–यथोपरि–	125	01.09.05	12/2005	3467		
3	मै0 कम्पयूटर, पालमपुर	3752	21.12.05	12/2005	1997	2 नं0 कार्टरिज	
4	मै0 एक्सिस इन्फोटेक, धर्मशाला	743	26.12.06	01/2007	3349	14 पैकेट ग्लोसी पेपर	
5	मै0 दुर्गा रोलिंग शटर इन्डस्ट्री	385	02.01.07	01/2007	4470	अल्मूनियम दरवाजा	
6	मै0 आनन्द इन्टरप्राईजिज, कुल्लू	494	–	06/2007	3867	नोटिस बोर्ड	
7	मै0 शिवा एन्टरप्राईजिज बैजनाथ	690	24.04.07	06/2007	10755	बोर्ड, माईका, फेवीकोल आदि	
8	मै0 गोपाल इम्पोरियम, पालमपुर	1133	05.06.07	06/2007	10930	मैट फलोरिंग	
9	मै0 भलाई इन्टरप्राईजिज, पालमपुर	091	11.06.07	06/2007	12882	कागज, टोनर, कार्टरेज आदि	
10	मै0 मनीश एन्टरप्राईजिज, बैजनाथ	3605	27.05.07	06/2007	3570	बिजली का सामान	
11	मै0 सन्तोष एन्टरप्राईजिज, बैजनाथ	191	26.05.07	06/2007	23500	ई0पी0ए0बी एमस सिस्टम	

12	मै0 आई0टी0आई0 कम्पयूटर, बैजनाथ	240	29.06.08	07/2008	2900	यू0पी0एस0 1 नं0	
13	मै0 कमपयूटिक सिस्टम, पालमपुर	813	12.6.08	07/2008	4000	टोनर, कार्टरिजस आदि	₹10688 के बिल के विरूद्ध
14	–यथोपरि–	814	12.6.08	07/2008	10688		₹10600 का भुगतान किया गया
15	–यथोपरि–	1705	31.12.08	11/2009	3810	कार्टरिजस	
16	मै0 साईबर सिटी, बैजनाथ	1147	18.10.08	11/2009	8050	कागज एवं कार्टरिजस	
17	मै0 टी0आर0 कम्पयूटर सर्विस, बैजनाथ	25	15.10.09	11/2009	8422	कागज एवं अन्य स्टेशनरी	
18	मै0 ट्राईट्रोनिक्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, दिल्ली	पी–316	11.10.10	03/2011	17648	यू0पी0एस0 की मुरम्मत एवं अन्य सम्बन्धित व्यय	
19	मै0 टी0आर0 कम्पयूटर, बैजनाथ	534	15.12.12	02/2013	8800	4 नं0 टोनर	
20	–यथोपरि–	29	04.02.13	02/2013	6920	टोनर, कागज आदि	
21	मै0 इल्क्ट्रोनिक्स केमर जोन, बैजनाथ	–	29.10.13	10/2013	6500	कम्पयूटर रिपेयर	

इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित भुगतान बिलों में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ पाई गई जिनका निराकरण अपेक्षित हैः–

(क) (आर0एल0ए0) बैजनाथ द्वारा उपरोक्त वर्णित सभी भुगतान बिलों में सरकार द्वारा निर्धारित क्रय की प्रक्रिया की पूर्ण रूप से अनदेखी करते हुये यह सभी क्रय बिना औपचारिकताओं को पूर्ण किये गये किये गये है। इस प्रकार क्रय पूर्व निविदायें आमन्त्रित न करने के कारण उपरोक्त सभी क्रम में बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया है, जबकि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी के नियम (e-Governance Fund Rules) 7.2 में स्पष्ट उल्लेखित है कि सामान का क्रय प्रतिस्पर्धात्मक दरो ंपर किया जाए। इसके अतिरिक्त ई–गवर्नेन्स निधि के मुख्य प्रशासक एवं जिलाधीश काँगड़ा द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी अधीनस्थ (आर0एल0ए0) द्वारा क्रय सामान का मूल्य सोसाईटी द्वारा निर्धारित/अनुमोदित दरों से अधिक नहीं होना चाहिए। अतः बिना औपचारिकतायें पूर्ण किये सामान का क्रय करने बारे स्पष्टीकरण देते हुये उपरोक्त वर्णित सभी मामलों में सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) क्रम संख्या 9, 10, 19 एवं 20 क भुगतान बिलों को छोड़कर अन्य समस्त बिलों की स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक पंजिका में नहीं की गई है, जिसके अभाव में उपरोक्त वर्णित क्रय को प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नियमानुसार किसी भी सामान को क्रय करने के उपरान्त सर्वप्रथम उसकी स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत योग्य एवं स्थाई वस्तुओं हेतु पृथक–पृथक रूप से की जानी अपेक्षित हैं एवं तदानुसार ही उनका क्रमाँक आदि भुगतान बिलों में दर्शाया जाना चाहिए। अतः इस चूक बारे स्पष्टीकरण देते हुये उपरोक्त वर्णित सभी सामान की स्टॉक प्रविष्टियाँ सम्बन्धित पंजिकाओं में की जाए ंतथा कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ग) अभिलेख को जाँच में यह भी पाया गया कि क्रम संख्या 1 से 21 में वर्णित सभी व्ययों की स्वीकृतियाँ उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) cum–प्रशासक ई–गवर्नेन्स द्वारा दी गई है जबकि क्रम संख्या 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18 में व्यय की स्वीकृति सोसाईटी के उपनियम 8, 12 एवं समय समय पर संशोधित नियम 8.1 एवं 8.2 के अनुसार मुख्य प्रशासक से ली जानी अपेक्षित थी। अतः बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृतियों के क्रय किये गये सामान का औचित्य स्पष्ट करते हुये इस बारे में मुख्य प्रशासक से कार्योत्तर स्वीकृतियाँ प्राप्त की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(घ) क्रम संख्या 9 में वर्णित भुगतान बिल की जाँच में पाया गया कि फर्म द्वारा गणना की गलती के कारण ₹1075/– के अधिक भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किया गया एवं उसी के अनुसार फर्म को भुगतान कर दिया गया, जिस कारण फर्म को ₹1075/– का अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली सम्बन्धित फर्म से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि ई0–गवर्नेन्स निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

12 कार्यालय के बिजली एवं टेलीफोन बिलों की ₹82811/–का भुगतान अनियमित रूप से ई–गवर्नेन्स से करने बारेः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) एवं तहसील कार्यालय के अधिकतर बिजली एवं टेलीफोन बिलों का भुगतान ई–गवर्नेन्स से किया जा रहा है, जबकि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा बनाये गये उप–नियमों (e-Governance Fund Rules) के नियम 8.13 में यह स्पष्टतः उल्लेखित है कि कार्यालय के बिजली एवं टेलीफोन बिलों का भुगतान कार्यालय के बजट में Other Expenditure Head (O.E. Head) में धन उपलब्ध न होने की दशा में ही किया जा सकता है, किन्तु अंकेक्षण के दौरान जाँच एवं पुष्टि हेतु इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार का अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया गया कि वास्तव में कार्यालय के Other Expenditure Head (O.E. Head) में बजट की अनुपलब्धता पर ही यह भुगतान ई–गवर्नेन्स सोसाईटी में से किया गया है। इसके अतिरिक्त अधिकतर मामलों में ई–गवर्नेन्स की वाउचर नस्ति में इन बिलों की छाया प्रतियाँ भी लगाई गई है एवं मूल बिल जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाये गये, जिसके अभाव में इस बात की पुश्टि भी नहीं की जा सकी कि उक्त बिलों का भुगतान Other Expenditure Head (O.E. Head) से तो नहीं किया गया है। अतः बिजली एवं टेलीफोन बिलों के भुगतान से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख इस बात की पुश्टि सहित कि इनका भुगतान ई–गवर्नेन्स सोसाईटी से O.E. Head में बजट की अनुपलब्धता पर किया गया है एवं इनकी राशि ई0–गवर्नेन्स में प्रत्यर्पण (Refund) कर दिया गया है तो इससे सम्बन्धित अभिलेख भी जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं क्योंकि ई–गवर्नेन्स की रोकड़ बही एवं स्वीकृति पत्र (Sanction Note) में इन बिलों की राशि ऋण के रूप में की गई दर्शाई गई है। अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में जांच में पाया गया कि निम्नलिखित बिजली एवं टेलीफोन बिलों का भुगतान ई0–गवर्नेन्स सोसाईटी से किया गया है जिनकी प्रतिपूति ई–गवर्नेन्स निधि में की जाए तथा चयनित मासों के अतिरिक्त अन्य मासों में इस तरह के भुगतानों की जाँच संस्था स्तर पर करके तदानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

क्र0सं0	मीटर क्रमाँक/कार्यालय का नाम	राशि	माह	टिप्पणी

(क) बिजली बिल				
1	UT-3 C/S	4801	12/05	
2	ACD	3000	06/07	
3	UTC-1/ तहसील कार्यालय	11254	11/09	मूल बिल नस्ति में उपलब्ध नहीं थे केवल बिलों की छायाप्रतियाँ उपलब्ध थी
4	HBC-153/ उपमण्डलाधिकारी कार्यालय	262	11/09	
5	UTC-3/ यथोपरि	4104	11/09	
6	UTC-4/ यथोपरि	6672	11/09	
7	UTC-3/ यथोपरि	9626	03/11	
8	HBC-153/ यथोपरि	221	03/11	
9	UTC-1/ तहसील कार्यालय	1654	06/11	बिजली बिलों की छाया प्रतियाँ ही नस्ति में उपलब्ध थी
10	UTC-4/ उपमण्डलाधिकारी कार्यालय	532	06/11	
11	UTC-3/ यथोपरि	3311	06/11	
12	लिखा नहीं गया/ यथोपरि	3784	02/13	
13	लिखा नहीं गया/ तहसील कार्यालय	5303	10/13	
14	लिखा नहीं गया/ तहसील कार्यालय मुल्थान	7192	10/13	
15	UTC-3/ उपमण्डलाधिकारी कार्यालय	5039	10/13	
16	UTC-4/ यथोपरि	3517	10/13	
17	PNC-177/ तहसील कार्यालय	3107	10/13	
(ख) टेलीफोन बिल				
18	263126/तहसील कार्यालय	1805	02/13	बिल की छायाप्रतियाँ ही नस्ति में उपलब्ध थी
19	/उपमण्डलाधिकारी कार्यालय	3141	02/13	–यथोपरि–
20	263126/तहसील कार्यालय	4486	06/11	–यथोपरि–
	योग	**₹82811**		

13 ई0–गवर्नेन्स की रसीद बुकों की स्टॉक पंजिकाओं का रख रखाव न करनाः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय द्वारा माह 12/2006 से पूर्व सेवा शुल्क हेतु हस्तलिखित रसीदें जारी की जानी थी किन्तु उन रसीद बुकें के क्रय एवं उन्हें जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया है क्योंकि क्रय की गई रसीद बुकों की प्रविष्टियाँ स्टॉक पंजिका में नहीं की गई है

एवं न ही उन्हें जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव किया गया है, जिसके अभाव में रसीद बुकों के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः माह 12/2006 से पूर्व की रसीद बुकों के क्रय एवं उन्हें जारी करने से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख जैसे कि क्रय की गई रसीद बुकों के क्रमाँक उनकी संख्या एवं प्रयोग में लाई गई रसीद बुको की संख्या इत्यादि का सम्पूर्ण अभिलेख जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 माह 10/2008 से सम्बन्धित रसीदों को जाँच हेतु प्रस्तुत न करनाः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) बैजनाथ द्वारा माह 10/2008 को वसूलियों से सम्बन्धित रसीदें जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई एवं न ही माह 10/2008 को दैनिक वसूली पंजिका (Daily Collection Register) जाँच हेतु प्रस्तुत किए गए, जिसके अभाव में अंकेक्षण द्वारा रोकड़ बही में दर्ज की गई आय का सत्यापन माह 10/2008 में बैंक में जमा करवाई गई राशियों के सम्बन्धित स्क्रोल के साथ किया गया। अतः सम्बन्धित रसीदें जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

15 स्टॉक पंजिकाओं का रख रखाव नियमानुसार न किया जानाः–

(क) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 135 (3) सहपठित ई0–गवर्नेन्स फण्ड रूल्स के नियम–9 के अनुसार एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों अनुसार (आर0एल0ए0) द्वारा स्थाई एवं अस्थाई वस्तुओं हेतु अलग–अलग स्टॉक पंजिका का रख रखाव किया जाना एवं प्रत्येक मद की प्रविष्टि अलग–2 पृष्ठ पर की जानी अपेक्षित है, किन्तु अभिलेख की जाँच में पाया गया कि (आर0एल0ए0) बैजनाथ द्वारा क्रय किए गए सामान की या तो स्टॉक प्रविष्टियाँ नहीं की गई है एवं यदि की गई है ता भी इन्हें नियमानुसार न करके सभी वस्तुओं/मदों की प्रविष्टियों तिथिवार एक ही पृष्ठ पर कर दी गई है एवं क्रय किये गये सामान के आगामी खपत से सम्बन्धित अभिलेख को भी नहीं रखा गया है जिस कारण क्रय सामान की प्राप्ति एवं उसके आगामी वितरण/खपत की जाँच वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः नियमों की अनुपालना न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये स्टॉक पंजिकाओं का रख रखाव नियमानुसार शीघ्र सुनिश्चित किया जाए तथा क्रय किये गये प्रत्येक सामान/वस्तु की प्रविष्टि तथा उसके आगामी निपटारे से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ उसमें करने के उपरान्त कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) ई0–गवर्नेन्स फण्ड रूल्स के नियम 9.2 के अनुसार क्रय किये गये समस्त सामान को प्राप्त करने के उपरान्त उसका परीक्षण, गिनती एवं माप इत्यादि किया जाना चाहिए था एवं सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारी द्वारा क्रय सामान की गुणवता, मात्रा तथा उसके स्पेसीफिकेशन

के होने के प्रमाण पत्र भी देना अपेक्षित था किन्तु जाँच में पाया गया कि उपरोक्त वर्णित नियम की पूर्णतया अवहेलना करते हुये इससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र किसी भी क्रय/भुगतान बिल पर नहीं दिया गया है जिस बारे स्पष्टीकरण देते हुये नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

16 **विविधः—**

(क) जाँच में पाया गया कि माह 06/2007 में रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 37 भाग–II दिनाँक 01.06.2007 के अनुसार श्रीमती सीमा देवी, लिपिक को चैक संख्या 518236 के द्वारा ₹450/– का भुगतान किया गया है किन्तु इस भुगतान से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का अभिलेख एवं भुगतान का उद्देश्य इत्यादि नहीं लिखा गया है, जिसके अभाव में उक्त भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः इस भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं अन्यथा इस राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जाए तथा कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 140 (2) सहपठित ई0–गवर्नेन्स फण्ड रूल्स 9.3 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार स्टॉक के समस्त सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना तथा यदि उसमें कोई विसंगति पाई जाए तो उसे तत्काल स्टॉक पंजिका में लिया जाना अपेक्षित था, किन्तु (आर0एल0ए0) बैजनाथ के सन्दर्भ में पाया गया कि अंकक्षण अवधि के किसी भी वर्ष में स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। अतः इस चूक बारे स्पष्टीकरण देते हुये अविलम्ब नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) सोसाईटी द्वारा (आर0एल0ए0) बैजनाथ के अन्तर्गत तहसील कार्यालय में जो डाटा एन्टरी आपरेटर रखे गये है उनके अनुबन्ध पत्र वर्तमान अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः इन समस्त अनुबन्ध पत्रों को जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा यह भी स्पष्ट किया जाए कि अनुबन्ध पर रखे गए डाटा एन्टरी आपरेटर ई0–गवर्नेन्स निधि से सम्बन्धित कार्य ही कर रहे है।

(घ) केन्द्रीय ईकाई से समय–2 पर ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) बैजनाथ को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) बैजनाथ से केन्द्रीय ईकाई को समय–2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

18 **निष्कर्षः**— रोकड़ बही के रख रखाव में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त लेखों के रख–रखाव में सुधार के अतिरिक्त रोकड़ बही एवं बचत खाते में जमा शेष राशि का मिलान करके बैंक समाधान विवरणी मासिक/वार्षिक आधार पर तैयार की जाए।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii) 39/2015 खण्ड–1–2346–2350 दिनांक 15.05.2015, शिमला–171009

पंजीकृतः–1 उप मण्डल अधिकारी (आर0एल0ए0) बैजनाथ जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
2 जिलाधीश काँगड़ा स्थित धर्मशाला जिला काँगड़ा (हि0प्र0)
3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला–03
4 अवर सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला–02
5 श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा..........................

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.